

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 6
(PBX) : (91) 751-2368996E-MAIL: narcom@cbn.in		
F.No. II(3)17/Estt/Promotion to S. I. from LDC/2023 -1023		Dated, the 14 March, 2024

Esstt. Order No. 10 /2024

As per the findings of the Review DPC in the grade of Sub-Inspector from the post of Lower Division Clerk for the years 2013-14 to 2015-16 held at the office of Narcotics Commissioner, Gwalior on 06.03.2024, the following official is hereby promoted in the grade of Sub-Inspector (in Level-4 of pay matrix Rs. 25,500/- to 81,100/-) with effect from the date he assumes charge of the higher post.

S. No.	Name of the officers (Sh.)	Remark	DPC Year
1.	Mayank Verma	Fit against UR Vacancy	2014-15

2. The above official should note that:

(a) If he does not accept the offer of promotion within 10 days of issue of order and fail to report for duty at his respective place, it will be considered as refusal of promotion and he shall be debarred for promotion to the grade of Sub- Inspector, for a period of one year.

(b) The promotion, in the higher grade, in respect of the official shall take effect from the date he takes over the charge of higher post.

(c) he is required to submit within one month of promotion, their option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, if he has been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, his pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

(d) He should note that his promotion is subject to the condition of successful completion of probation period of two years which can be extended, if his performance during the probation period is not found to be satisfactory.

(e) His seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by the above mentioned review DPC in the grade of Sub-Inspector (from LDC) for the years 2013-14 to 2015-16.

4. His regular posting will be decided in due course. Till then he shall assume the charge of the promotional post on in situ (as is where is) basis.

This issues with the approval of the Deputy Narcotics Commissioner.



(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner

Shri.....
.....
.....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The CCF, Govt. Opium and Alkaloid Factories, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to the Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PS to DNC & PA to ANC, CBN, Gwalior
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. Superintendent, Opium/ Vig/ Prev/ Tech/ Prec./Narcotics/
Adm./Accounts & Pay Bill/ Estt./ Online/ Hindi, Hqrs. Gwalior.
8. Guard File/Estt. Sec.(Roaster Seat)/Website.



(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner



एफ.नं. II(3)17/स्था/एलडीसी/2023 से एस.आई. में पदोन्नति -1023 दिनांक 4 मार्च, 2024

आदेश संख्या 10/2024

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए निम्न श्रेणी लिपिक के पद से उप-निरीक्षक के पद पर समीक्षा डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर के कार्यालय में दिनांक 06.03.2024 को आयोजित, निम्नलिखित अधिकारी को उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में रु. 25,500/- से 81,100/- तक), उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से।

क्रम संख्या	अधिकारियों का नाम (श्री)	टिप्पणी	डीपीसी वर्ष
1	मयंक वर्मा	अनारक्षित रिक्ति के लिए उपयुक्त	2014-15

2. उपरोक्त अधिकारी ध्यान दें कि:

(क) यदि वह आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और अपने संबंधित स्थान पर इयूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उसे एक वर्ष की अवधि के लिए उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

(ख) अधिकारी के संबंध में उच्चतर पद पर पदोन्नति, उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन वह उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेगा।

(ग) उन्हें पदोन्नति के एक महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/02/2017-स्था.(वेतन-1) के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि, यदि उन्हें एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, तो उनका वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.8.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/1/97-स्था.(डी) के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधानों और एमएसीपी के

लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.5.2009 के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(डी) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। (घ) उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पदोन्नति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की शर्त के अधीन है, जिसे बढ़ाया जा सकता है, यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

(ङ) उनकी वरिष्ठता की गणना वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए उप-निरीक्षक (एलडीसी से) के ग्रेड में उपर्युक्त समीक्षा डीपीसी द्वारा तैयार किए गए पैनल के आधार पर की जाएगी।

4. उनकी नियमित पोस्टिंग का निर्णय यथासमय किया जाएगा। तब तक वे पदोन्नति पद का कार्यभार यथावत (जहाँ है जैसा है) आधार पर संभालेंगे।

यह उप नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, राजकीय अफीम एवं अल्कलॉइड फैक्टरी, नई दिल्ली।
2. उप वन संरक्षक, नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, जीओएडब्ल्यू, नीमच/गाजीपुर।
4. नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, ग्वालियर के निजी सचिव।
5. डीएनसी के निजी सचिव एवं एएनसी, सीबीएन, ग्वालियर के निजी सचिव।
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर।
7. अधीक्षक, अफीम/सतर्कता/पूर्व/तकनीकी/पूर्व/नारकोटिक्स/प्रशासन/लेखा एवं वेतन बिल/स्थापना/ऑनलाइन/हिंदी, मुख्यालय ग्वालियर।
8. गार्ड फाइल/स्थापना अनुभाग (रोस्टर सीट)/वेबसाइट।


(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त